



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-08082026-275312
CG-CG-E-08082026-275312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4194]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 4194]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 5 अगस्त, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20E के अंतर्गत सूचना

का.आ. 4370(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उपखण्ड-(ii), तारीख-29, अप्रैल 2026 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का आ. 2172(अ) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के लिए, “दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दाधापारा से बिलासपुर के बीच चौथी लाईन(3.48 कि.मी) परियोजना का निर्माण हेतु। बिलासपुर जिले के छत्तीसगढ़, राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20(क) की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् नवभारत-बिलासपुर संस्करण (हिन्दी में) दैनिकभास्कर-बिलासपुर संस्करण (हिन्दी में) Hitavada Raipur edition (in English) तारीख 15 मई 2026 को प्रकाशित कर दिया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20E कि उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20E की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20E कि उपधारा(2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

“ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दाधापारा से बिलासपुर के बीच चौथी लाईन (3.48 कि.मी.)” परियोजना का निर्माण है, बिलासपुर जिले के लिए, अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना के सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण—

जिला का नाम— बिलासपुर ग्राम का नाम- तिफरा भूमि का प्रकार- निजी भूमि (राज्य— छत्तीसगढ़)

क्रमांक संख्या	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि की किस्म	भूमि स्वामी
1	बिलासपुर	तिफरा	1496	0.012	पड़त	अशोक कोरी पिता दुजराम कोरी
2			1497/10	0.028	पड़त	अशोक कोरी पिता दुजराम कोरी
3			1497/11	0.048	पड़त	अशोक कोरी पिता दुजराम कोरी
4			1495/5	0.071	पड़त	कैलाश दयालानी पिता इन्द्रपाल
5			1495/3	0.049	पड़त	झाड़ू वैगरह
6			1495/2	0.039	पड़त	संतोष उर्फ गुडडा पिता दुजराम
7			1494	0.050	पड़त	जवाहर पिता दुजराम
			योग	0.297 हेक्टेयर		

जिला का नाम— बिलासपुर ग्राम का नाम- तिफरा भूमि का प्रकार- शासकीय भूमि (राज्य— छत्तीसगढ़)

क्रमांक संख्या	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि की किस्म	भूमि स्वामी
1.	बिलासपुर	तिफरा	1491/1	0.072	पड़त	शासकीय भूमि
			योग	0.072 हेक्टेयर		

कुल योग:- 0.369 हेक्टेयर

[फा. सं. डी.सी.ई-II/कॉन/आर/चौथीलाईन/दाधापारा-बिलासपुर/20E/]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(South East Central Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 5th August, 2026

Notice under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 4370(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), number S.O. 2172 (E), dated 29th April 2026 the published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ii, section 3, Sub-section (ii), and issued under sub- section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, construction of **4th line between Dadhapara-Bilaspur (3.48 Km) of South East Central Railway** of Bilaspur District in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local news papers namely, Navbharat (Bilaspur Edition in Hindi), Dainik Bhaskar (Bilaspur Edition in Hindi) & The Hitavada (Raipur Edition), of dated 27.11.2025, under sub-section (4) of section 20A of the said Act,

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub- section(1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section(2) of section 20E of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely construction of **“4th line between Dadhapara-Bilaspur (3.48 Km) of South East Central Railway of Bilaspur District** in the state of Chhattisgarh.

Name of District – Bilaspur Village-Tifra Type of Land-Niji (State - Chhattisgarh)

SN	Tehsil	Name of Village	Khasra/Plot No.	Area (In Hectare)	Type of Land	Land owner
1	Bilaspur	Tifra	1496	0.012	Padat	Ashok Kori Father Dujram Kori
2			1497/10	0.028	Padat	Ashok Kori Father Dujram Kori
3			1497/11	0.048	Padat	Ashok Kori Father Dujram Kori
4			1495/5	0.071	Padat	Kailash Dayalani Father Indrapal
5			1495/3	0.049	Padat	Jhadu Vaigra
6			1495/2	0.039	Padat	Santosh Urf Gudda Father Dujram
7			1494	0.050	Padat	Jawahar Father Dujram
			Total	0.297 Hectare		

Name of District – Bilaspur
Village-Tifra
Type of Land - Government Land
(State - Chhattisgarh)

S.N.	Tehsil	Name of Village	Khasra/Plot No.	Area (In Hectare)	Type of Land	Land owner
1.	Bilaspur	Tifra	1491/1	0.072	Padat	Government Land
Total 0.072 Hectare						

Grand Total- 0.369 Hectare

[F. No. DCE-II/Con/R/4th line/Dadhapara - Bilaspur/20E/]
MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Const.)